परिशिष्ट-उ [20/12/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 1762]

कलेक्टोरेट शिवपुरी
शाखा EE जल संसाधन
04 JUN 2018

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग,
-:: मंत्रालय ::-
वल्लभ भवन भोपाल
E-mail (us.mpwrd.bpl@mp.gov.in)

पत्र क्र.-22(ए)/337/एसपीएस/31 /878 भोपाल दिनांक-/6/05/2018

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल ।

विषय :-लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावितों हेतु विशेष पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति ।

-000-

मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 08 मई, 2018 में शिवपुरी जिले की लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावितों हेतु विशेष पुनर्वास पैकेज दिये जाने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति प्रदान करता है :-

(अ) परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि और उस पर स्थित परिसंपत्तियों के क्रय/अर्जन के लिए निम्नानुसार विशेष पैकेज दिया जाए :-

डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतु :-

(i) *क्रय/अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रूपये 10 (दस) लाख की दर से एक मुश्त राशि ।*

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में पक्का कुआं होने की दशा में रूपये 2 (दो) लाख प्रति कुआं ।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि में चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रूपये 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल ।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि पर फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रूपये 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से ।

(ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार गणित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं वाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे ।

(iii) सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों में भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड-लाईन दर से किया जावे और शेष राशि पुनर्वास अनुदान मानी जावे ।

E:\एमपीएस शाखा\MPS-2018\MPS LETTER-2018.docx//राऊत//

जलं रक्षति रक्षित:

निरंतर...2

(ब) परियोजना की डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितों की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एकमुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए :-

(i) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य तथा राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान ।

तथा

ग्रामीण क्षेत्र में भू-खण्ड दिये जाने की दशा में रूपये 2 (दो) लाख एकमुश्त अनुदान ।

तथा

यदि पात्र परिवार भू-खण्ड नहीं लेना चाहता है तो रूपये 5 (पांच) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान ।

(ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी ।

(iii) परिवार से आशय है :- (i) शादीशुदा व्यस्क का परिवार ; (ii) परित्यक्ता का परिवार अथवा (iii) विधवा का परिवार ।

(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारों की लिखित सहमति प्राप्त की जाए । लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा में ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं ।

2. परियोजना पर व्यय मांग संख्या 23/4701 (मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय) के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

16/5/18
(विनोद सिंह टेकाम)
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

निरंतर...3

पृ. क्रं.-22(ए)/337/एसपीएस/31/879

भोपाल दिनांक-16/05/20

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त/नर्मदा-घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/आदिम जाति कल्याण/कृ विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ।
4. कलेक्टर जिला शिवपुरी ।
5. मुख्य अभियंता, (बोधी) जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
6. मुख्य अभियंता, राजघाट नहर परियोजना, जल संसाधन विभाग, दतिया ।
7. अधीक्षण यंत्री, राजघाट नहर परियोजना मण्डल, झांसी (उ.प्र.) ।
8. कार्यपालन यंत्री, राजघाट दांयी तट नहर संभाग, खनियाधाना जिला शिवपुरी ।
9. निज सचिव, मा. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
10. वेब मैनेजर स्वारा भवन, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेब-साईड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

8 21/5/18

16/5/18

उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग शिवपुरी (म०प्र०)

पृष्ठां.क्र. 1905 /का.का.(योजना)/2018 दिनांक 22-6-2018

परियोजना संचालक
और- रिवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट
बामोर कलाँ, जिला- शिवपुरी (म.प्र.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

संलग्न : उपरोक्तानुसार

ओ०पी० गुप्ता
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
शिवपुरी (म०प्र०)